न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर

अजमेर न्याय क्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	–	**डॉ. विमल व्यास आर.जे.एस**
सी.आई.एस. संख्या	–	5938/2014
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	–	851/2012
एफ. आई. आर. संख्या	–	210/2012
सीएनआर नंबर	–	RJAJ220001512012
आरक्षी केन्द्र	–	**पीसांगन**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, पुष्कर **.....अभियोगी**

बनाम

लाला उर्फ चरण सिंह पुत्र भगवान सिंह, उम्र 23 वर्ष, निवासी मनसा तलाई बड़ी बस्ती पुष्कर।
.....अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम

उपस्थित:–
अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।
श्री मदन सांखला, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

–:प्रकरण के संक्षिप्त विवरण:–

अपराध की तिथि	09.11.2012
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	09.11.2012
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	19.12.2012
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	02.01.2013
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	16.06.2014
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	25.03.2026
निर्णय की तिथि	25.03.2026
दंड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	–

authentication document

–:अभियुक्त का विवरण:–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
1.	लाला उर्फ चरण सिंह	09.11.2012	02.01.2013	4/25 आयुध अधिनियम	दोषसिद्ध	दण्डादेशानुसार	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	मोहम्मद निसार	ड्यूटी ऑफिसर
पीडब्ल्यू–2	श्रवण राम	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू–3	डूंगाराम	मेटिरियल गवाह
पीडब्ल्यू–4	महिपाल	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू–5	तेजाराम	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू–6	दयानंद शर्मा	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू–7	वनीता शर्मा	शिकायतकर्ता

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

authentication document

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी–2
3	फर्द जब्ती	प्रदर्श पी–3
4	फर्द डायग्राम	प्रदर्श पी–4
5	नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–5
6	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्श पी–6
7	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–7ए
8	आर्म्स एक्ट की अधिसूचना	प्रदर्श पी–8

क. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
1	नकल रपट रोजनामचा	प्रदर्श डी–1

निर्णय **दिनांक: 25.03.2026**

01– इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना, पुष्कर की ओर से दिनांक 19.12.2012 को अभियुक्त लाला उर्फ चरण सिंह के विरुद्ध धारा 4/25 आयुध अधिनियम में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर हुआ। कालांतर में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के आदेश क्रमांक 09 दिनांक 06.01.2026 की पालना में हस्तगत प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

02– अभियोजन वृतांत संक्षिप्त में इस प्रकार है कि परिवादिया वनिता आरपीएस (प्रोबेश्नर) थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पुलिस थाना पुष्कर में इस आशय की पेश की कि दिनांक 09.11.2012 को वह मय एसआई विक्रम सेवावत मय हैड कांस्टेबल दयानंद शर्मा, कांस्टेबल श्रवणराम, कांस्टेबल महिपाल सिंह मय अनुसंधान बॉक्स मय सरकारी जीप चालक के समय 12.05 पी.एम. पर वास्ते गश्त जुरायम कंट्रोल हेतु थाना से रवाना होकर गश्त करती हुई समय 12.20 पी.एम. पर ब्रह्म चौक पुष्कर पहुंची, जहां मुखबिर खास ने बताया कि एक व्यक्ति जिसने स्लेटी रंग की पेंट व भूरे रंग की धारीदार शर्ट पहन रखी है, ने अपने पीट की ओर कमर के नीचे कपड़ों में एक धारदार छुरा छुपा रखा है, जिसे अभी चैक किया जाए तो उक्त धारदार हथियार मिल सकता है। इत्तला मोमिल होने से हमराही जाब्ता को इत्तला मुखबिर से अवगत कराया गया। समय 12.30 पी.एम. पर कांस्टेबल महिपालसिंह को स्वतंत्र गवाह तलब कर लाने हेतु भेजा गया, जिसने समय 12.35 पी.एम. पर आकर बताया कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं

authentication document

है। इस सूरत में हमराही जाप्ता में से कांस्टेबल श्रवणराम व कांस्टेबल महिपालसिंह को उनकी सहमति प्राप्त कर स्वतंत्र गवाह मामूर कर पुनः मुखबिर की इत्तला से अवगत कराया गया। समय 12.40 पी.एम. पर वह मय हमराह जाब्ता व जीप के मुताबिक इत्तला मुखबिर के प्रक्रमा मार्क तरणी घाट की तरफ रवाना हुई। समय 12.45 पी.एम. पर तरणी घाट के बाहर सउक की तरफ पहुंचे ही कि जहां पर मुखबिर के बताये हुलिये का व्यक्ति खडा नजर आया, जो बावर्दी पुलिस पार्टी को जीप में देखकर आगे की तरफ जाने लगा, जिसको हमराही जाब्ता की मदद से समय 12.50 पी.एम. पर रोका व मुखबिर की इत्तला से अवगत करवाया व नाम पता पूछा तो अपना नाम लाल उर्फ चरणसिंह बताया। जिसने अपना दाहिना हाथ पीछे छुपा रखा था, की जामा तलाशी ली गई तो उसकी पीठ की ओर कमर के नीचे कपडों में एक धारदार छुरा छुपाया हुआ मिला। शख्स लाला उर्फ चरणसिंह को धारदार छुरा कब्जे मेंरखने व लेकर चलने का लाइसेंस का पूछा तो लाइसेंस नहीं होना बताया। छुरे का नाप लिया गया तो उसके फल की लम्बाई 16.5 सेमी तथा उसके हत्थे की लम्बाई 16.5 सेमी पाई गई, जो निर्धारित लम्बाई से ज्यादा होने पर शख्स द्वारा धारदार छुरा अपने कब्जे में रखना 4/25 आम्र्स का दण्डनीय अपराध है। धारदार दुरा का खाका बनाने के बाद जरिये फर्द कब्जा पुलिस में लिया गया, जिसे एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया। मुलजिम लाला उर्फ चरणसिंह को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया, बाद कार्यवाही गिरफ्तारशुदा मुलजिम मय सीलशुदा पैकिट मय फर्दात के मय अनुसंधान बॉक्स के रवाना होकर थाना पुष्कर पहुंची.....आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना पुष्कर द्वारा प्रकरण सं 210/2012 अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त लाला उर्फ चरण सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04– दिनांक 02.01.2013 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

05– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

06– तत्पश्चात् अभियुक्त का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्त ने कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

07– बहस अन्तिम सुनी गई। अभियुक्त के धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के बन्ध–पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किये गए।

authentication document

08– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

''क्या, अभियुक्त ने दिनांक 09.11.2012 को समय 12.50 पी.एम. वाके मौजा तरणी घाट, पुष्कर में एक धारदार छुरा जिसके फल की लंबाई 16.5 सेमी व हत्थे की लंबाई 16.5 सेमी थी, अपने कब्जे व आधिपत्य में रखा, जिसको रखने का वैध लाइसेंस/परमिट उसके पास नहीं था ? यदि हाँ तो अभियुक्त किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है"?

09– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि गवाहान के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्त की लिप्तता को प्रकट करे। अंत में, अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11– उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु कुल 07 साक्षीगण को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्नप्रकार है:–

साक्षी **पीडब्ल्यू–1** मोहम्मद निसार ने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 09.11.2012 को वह पुष्कर थाने में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह आई.सी. थाना भी था। उस दिन वनीता शर्मा आरपीएस प्रोबेश्नर ने एक तहरीर रिपोर्ट मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिम चरण सिंह उर्फ लाला मय एक सील शुदा पैकेट उसके समक्ष पेश की, जिस पर उसने मु.नं–210/12 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीबद्ध कर तफ्तीश एएसआई तेजाराम के जिम्मे की। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी कार्यवाही पुलिस तथा ई से एफ वनीता शर्मा के हस्ताक्षर हैं, जो उसके सामने किये थे। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है, जिस पर ए से बी उसके, से से डी वनीता शर्मा के हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्त की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श–1 के प्रथम पृष्ठ पर वनीता शर्मा के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि तहरीर रिपोर्ट पर तारीख कहीं अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि जिस वक्त उसे रिपोर्ट दी गई, उस वक्त मुलजिम साथ थे। यह कहना सही है कि मुलजिम को उसके द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि उस वक्त वह थानाधिकारी के पद पर कार्यरत नहीं था और न ही उसने ऐसी कोई प्रति पेश की।

साक्षी **पीडब्ल्यू–2** श्रवण राम ने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 09.11.2012 को वह पुष्कर थाने पर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन 12.05 पी.एम. पर वह आर.पी.एस. वनीता शर्मा, एसआई विक्रम सिंह, एच.सी. 164 दयानंद शर्मा, कांस्टेबल महिपाल मय सरकारी जीप के गश्त करने गये। समय करीब 12.20 पी.एम. ब्रह्म चौक

authentication document

पुष्कर पहुंचे, जहां पर आरपीएस वनीता शर्मा ने बताया कि मुखबिर ने एक इत्तला दी है कि एक व्यक्ति धारदार छुरा लिये खड़ा है। इस इत्तला पर हमराही जाप्ता ब्रह्म चौक से तरणी घाट के लिए रवाना हुए। इत्तला अनुसार वनीता शर्मा कांस्टेबल महिपाल को स्वतंत्र गवाह लाने हेतु भेजा, लेकिन वापस आकर महिपाल ने बताया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई गवाह बनने को तैयार नहीं है। इसके बाद कांस्टेबल महिपाल व उसे स्वतंत्र गवाह बनने को कहा तो उन्होंने सहमति दी। उसके बाद मुताबिक इत्तला वे मौके पर पहुंचे। वहां एक व्यक्ति खड़ा था जो स्लेटीदार पैंट व भूरी चौकड़ीदार शर्ट पहने था, जिनकी वनीता शर्मा व हमराही जाप्ता ने तलाशी ली। जिसकी पीठ के पीछे व कमर के नीचे एक छुरा धारदार मिला। जिनको मौके पर सील मोहर किया गया। छुरे के फल की लंबाई 16.5 व हत्थे की लंबाई 16.5 सेमी पाई गयी। जिस व्यक्ति के कब्जे से धारदार हथियार पाया गया, पूछे जाने पर आपने अपना नाम लाला उर्फ चरण सिंह होना बताया। लाइसेंस के बारे में पूछने पर नहीं होना बताया। इसके बाद उक्त धारदार छुरे का खाका बनाया गया। उसे सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर जब्त किया गया, मुलजिम को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जब्तशुदा सामान व मुल्जिम को लेकर वे थाने पर आये और वनीता शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया। उक्त धारदार छुरे की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3 है, जब्तशुदा छुरे का खाका प्रदर्श पी–4 है तथा मुलजिम की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5 है, जिन सभी फर्दों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने एएसआई तेजाराम ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण का एक धारदार चाकू मय हत्था आर्टिकल–1 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि पुलिस थाना पुष्कर से तरणी घाट आधा किमी की दूरी पर है। तरणी घाट पर भीड़ कम रहती है। नक्शा मौका कितने बजे बनाया यह उसे याद नहीं है, क्योंकि एएसआई तेजाराम ने बनाया था। किस तारीख को बनाया यह उसे याद नहीं है। तेजाराम जब वे गश्त करने गए तब उनके साथ नहीं गए थे। दूसरे दिन वे कब गए उसे ध्यान नहीं है। वह आज नहीं बता सकता है। छुरे का नाप उन्होंने अनुसंधान बॉक्स के फीते से लिया था। फीता मीटर का व छोटा था, कितने मीटर का था उसे पता नहीं है। फीता सफेद रंग का था। उसके बयान तेजाराम एएसआई ने लिए थे। बयान घटना के दूसरे दिन थाने पर लिए थे। फीते के रंग व नाप को उसने पुलिस बयान में नहीं बताया। अनुसंधान बॉक्स के रिकॉर्ड की कॉपी फाईल में है तो भी वह नहीं बता सकता है। लाला उर्फ चरण सिंह को वह पहले से जानता है। वह तलाई बड़ी बस्ती पुष्कर में रहता है। छुरे की जब्ती की बाद अनुसंधान अधिकारी ने छुरे के फिंगर प्रिंट जांच की कार्यवाही नहीं की। यह बात सही है कि आर्टिकल–1 लाला उर्फ चरण सिंह के हाथ में नहीं था। स्वतंत्र गवाह को बुलाने के लिए वनीता शर्मा ने कांस्टेबल महिपाल को भेजा था। वह किसी भी स्वतंत्र गवाह को लेकर नहीं आया। मैडम ने उसे 12.30 पीएम पर भेजा। वह 12.35 पीएम पर वापस आ गया। हथियार वनीता मैडम ने जब्त किया था। जब्ती करीब 12.40 पीएम पर की थी। लगभग 2 बजे मुलजिम को गिरफ्तार किया, वहां पुलिस जाब्ता था, उसके अलावा कोई मौजूद नहीं था, थाने पर मुलजिम को लेकर आने के बाद माल मैडम ने मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द किया, जिससे माल दर्ज कर लिया। माल अनुसंधान अधिकारी तेजाराम को सुपुर्द नहीं किया। प्रदर्श पी–1 तेजाराम

authentication document

के समक्ष पेश की और किसी के समक्ष पेश की हो तो उसे पता नहीं। प्रदर्श पी–1 के प्रथम पेज पर वनिता मैडम के हस्ताक्षर नहीं है, यह किस तारीख को पेश की तारीख भी अंकित नहीं है यह कहना सही है कि नापतोल वनिता मैडम ने मौके पर ही किया था यह उसे पता नहीं आर्टिकल–1 बाजार में लोहे वाले की दुकान पर मिल जाता हो। प्रदर्श पी–4 कर नापतोल किया तब और किसी के हस्ताक्षर नहीं कराए थे। वे हथियार लेकर करीब ढाई बजे थाने पर आए। माल, माल खाने में कब जमा कराया उसे ध्यान नहीं है। मौके पर महिपाल और वह चश्मदीद गवाह है थे और कोई नहीं था। यह कहना गलत है कि उसके सामने किसी को गिरफ्तार न किया और नहीं कोई जब्ती की हो। उसे वक्त थानाधिकारी वनिता शर्मा थी, वह प्रोबेश्नर थी। थानाधिकारी के थाना छोड़ने पर उसके नीचे का अधिकारी, थानेदार की सीट पर होता है। यह उसे मालूम नहीं की आर्टिकल–1 जब जप्त किया तो उसका विवरण जप्ती में नहीं है। यह कहना गलत है कि आर्टिकल–1 उसके सामने जप्त किया गया हो इस कारण उसे उसके हैंडल के रंग का पता ना हो। प्रदर्श पी–1 पर ए से बी हस्ताक्षर किसके हैं, वह नहीं बता सकता हैं। यह कहना गलत है कि वनिता शर्मा के अधीनस्थ होने के कारण झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी **पीडब्ल्यू–3** डूंगाराम ने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 09.11.2012 को वह पी.एस.पुष्कर में मालखाना इंचार्ज के पद पर पदस्थापित था। उस दिन आरपीएस वनीता शर्मा ने एक जब्तशुदा चाकू सफेद कपड़े की थैली में उसके समक्ष पेश किया, जिसको उसने मालखाना के मद सं–178 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किया। मूल रजिस्टर प्रदर्श पी–7 है, जिसकी नकल प्रदर्श पी–7 ए है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि माल खाना रजिस्टर प्रदर्श पी–7 में हस्तलिपि उसकी है। उसने सील जब्त छुरे की सील खोलकर नहीं देखी। माल शील्ड अवस्था में उसे वनिता शर्मा द्वारा दिया गया। माल अनुसंधान अधिकारी द्वारा जप्त नहीं किया गया। जप्ती अधिकारी द्वारा जप्त किया गया। यह कहना गलत है कि वनिता शर्मा के अधीनस्थ होने के कारण झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी **पीडब्ल्यू–4** महिपाल ने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 09.11.2012 को वह पी.एस. पुष्कर में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह, वनीता शर्मा आरपीएस, एसआई विक्रम सिंह, कांस्टेबल श्रवणराम, एचसी दयानंद मय जीप सरकारी, मय अनुसंधान बॉक्स के लगभग दोपहर बाद 12 बजे वास्ते गश्त जुरायम कंट्रोल थाने से रवाना होकर ब्रह्म चौक पुष्कर पहुंचे। उस समय मुखबिर खास ने आरपीएस मैडम को इत्तला दी कि एक व्यक्ति जिसने स्लेटी रंग की पैंट व भूरे रंग की धारदार शर्ट पहनी है, ने अपनी पीठ की तरफ कमर के नीचे एक धारदार छुरा छुपा रखा है। मैडम ने जाब्ते को अवगत कराया। फिर मैडम ने उसे स्वतंत्र गवाह लाने के लिए भेजा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। फिर मैडम ने उसे व कानि. श्रवणराम को स्वतंत्र गवाह नियुक्त किया। फिर वे सभी लोग तरणी घट की तरफ रवाना हुए। तरणी घाट पहुंचे तो सड़क की तरफ एक व्यक्ति नजर आया जो मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का था। उसने बावर्दी जाब्ता देखकर भागने की कोशिश की। जिसको जाब्ते की मदद से रोका। मुखबिर की इत्तला से अवगत कराया और नाम पता पूछने पर अपना नाम लाला उर्फ चरण सिंह निवासी मनसा तलई बड़ी बस्ती पुष्कर

authentication document

बताया। उसके दाहिने हाथ पीछे की तरफ छिपा रखा था। तलाशी ली गयी तो उसकी पीठ की तरफ कमर के पीछे कपड़ों में एक धारदार छुरा मिला, जिसके लाइसेंस बाबत् पूछा तो नहीं होना बताया। छुरे का नाप किया जो फल की लंबाई 16.5 सेमी व हत्थे की लंबाई भी 16.5 सेमी ही पाई गयी। मौके पर ही उक्त धारदार छुरे का खाका बनाया गया। उसको सफेद कपड़े की थैली में डालकर जरिये फर्द जब्त किया गया। मुलजिम लाला उर्फ चरणसिंह को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम व जब्तशुदा माल लेकर वे थाने पर आये जहां मैडम ने मुकदमा दर्ज करवाया। उक्त धारदार चाकू की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3, खाका प्रदर्श–4 व चरणसिंह की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5, आरपीएस मैडम ने उसके सामने बनायी थी, जिन सभी पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। एएसआई तेजाराम जी ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 बनाया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। चाकू जो लाला उर्फ चरणसिंह के कब्जे से उसके सामने जब्त किया था, आर्टिकल–1 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह 14 जून 2012 को हाल तक पीएस पुष्कर पर कार्यरत है। तरणी घाट पुलिस थाना पुष्कर से 2–2.50 किमी दूर है। तरणी घाट जाने से पुलिस थाना पुष्कर से लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। थाने से वे 12.00 बजे रवाना हुए। नक्शा मौका तेजाराम एएसआई ने 10.11.2012 को समय 3.00 पीएम पर बनाया था। नक्शा मौका बनाते समय वह, श्रवण लाल कांस्टेबल व तेजाराम एएसआई मौजूद थे। प्रदर्श पी–4 वनीता शर्मा ने बनाया था। प्रदर्श पी–4 दिनांक 09.11.2012 को बनाया था, समय उसे याद नहीं है। उस समय वनीता शर्मा आरपीएस विक्रम सिंह, दयानंद, श्रवणराम व वह मौजूद थे। प्रदर्श पी–4 पर उसके और श्रवणराम के हस्ताक्षर कराए थे और किससे हस्ताक्षर कराए, उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि नक्शा मौका जहां का बनाया वह आबादी एरिया है। वह नक्शा मौका को समझता है। प्रदर्श पी–6 नक्शा मौका देखकर बताया कि रोड़ के दोनों ओर दुकानें व मंदिर है। प्रदर्श पी–6 के दोनों ओर दुकानें व मार्केट है, आबादी नहीं है। अनुसंधान बॉक्स में फीता, टॉर्च, सील मोहर, कपडें की थैली व अनुसंधान में काम आने वाली सभी चीजें होती हैं। यह कहना सही है कि अनुसंधान बॉक्स का रिकॉर्ड मालखाने में रहता है। धारदार हथियार को अनुसंधान अधिकारी ने नापा। आरपीएस मैडम ही अनुसंधान अधिकारी है। हथियार को फीते से नापा जो सफेद रंग का था। यह कहना सही है कि अनुसंधान अधिकारी का नाम तेजाराम है। उसके बयान आईओ ने लिए थे। यह कहना सही है कि उसके 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता बयान में कहीं भी फीते का नाप व कलर अंकित नहीं है। फीता मीटर में था, गज में उसे याद नहीं है। उसे आज याद नहीं है कि आर्टिकल–1 पर उसके हस्ताक्षर कितने बजे कराए, परंतु मौके पर ही कराए थे। यह कहना सही है कि आर्टिकल–1 हथियार अभियुक्त के हाथ में नहीं था। आईओ ने उसे किसी स्वतंत्र गवाह को बुलाने हेतु नहीं भेजा था और कोई भी स्वतंत्र गवाह मौके पर नहीं आया था। यह कहना सही है ककि उसके सामने किसी चश्मदीद गवाह को मौके पर नहीं बुलाया। प्रदर्श पी–1 के प्रथम पृष्ठ पर अनुसंधान अधिकारी व रिपोर्टकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही तारीख का उल्लेख है। प्रदर्श पी–1 पर ए से बी हस्ताक्षर निसार मोहम्मद के है। उस दिन उनके थानाधिकारी मौहम्मद निसार एएसआई थे। रोजनामचा रिपोर्ट प्रदर्श डी–1 है। 12.05 पीएम

authentication document

पर जब वे थाने से रवाना हुए, उस समय थानाधिकारी वनिता शर्मा थी। प्रदर्श डी–1 में ए से बी भाग सही लिखा है। थानाधिकारी जब थाना छोड़ता है तो जो थानाधिकारी बनता है, उसका रोजनामचा में इंद्राज होता है। उसका इंद्राज प्रदर्श डी–1 में नहीं है कि थानाधिकारी निसार मोहम्मद होंगे। उसे ध्यान नहीं है कि अभियुक्त से जब्ती हथियार होना बताया तब अभियुक्त के फिंगरप्रिंट की कोई कार्यवाही उनके सामने नहीं की गई। यह कहना सही है कि जब्ती बनाने के बाद उक्त हथियार की कोई कार्यवाही उसके सामने नहीं की। यह कहना सही है कि जिस हथियार की जब्ती बताई गई है, उसके हैण्डल का कोई उल्लेख जब्ती में नहीं है। आर्टिकल–1 बाजार में मिल जाता हो तो उसे पता नहीं है। अभियुक्त को पहले गिरफ्तार किया फिर जब्ती बनाई। अभियुक्त को 02.00 पी.एम. पर गिरफ्तार किया। जब्ती का समय उसे याद नहीं है। अनुसंधान अधिकारी ने उसके बयान घटना के दिन दिनांक 10.11.2012 को ही लिए। यह कहना गलत है कि आर्टिकल–1 उसके सामने जब्त नहीं किया, इसलिए हैण्डल का विवरण जब्ती में नहीं है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त को फंसाने का उनके द्वारा प्रयत्न किया गया। यह कहना गलत है कि वनिता शर्मा के अधीनस्थ होने के कारण झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी **पीडब्ल्यू–5** तेजाराम ने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 09.11.2012 को वह पुलिस थाना पुष्कर पर एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थाना इंचार्ज मोहम्मद निसार ने परिवादिया सुश्री वनीता शर्मा, आरपीएस (पी) की तहरीर रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 210/2012 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर उसे अनुसंधान हेतु सुपुर्द किया था दौराने अनुसंधान उसके द्वारा फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3, फर्द डायग्राम प्रदर्श पी–4, फर्द गिरफतारी आप मुल्जिम को पीपाला प्रदर्श पी–5 को शामिल पत्रावली किया दौराने अनुसंधान गवाह महिपाल सिंह, दयानन्द, विक्रम सेवावत, श्रवणराम वनीता शर्मा के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। दौराने अनुसंधान नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–6 गवाहान के समक्ष परिवादिया की निशांदेही से घटनास्थल पर मुर्तिब किया, जिस पर ई से एफ उसके, जी से एच परिवादिया के, ए से बी व सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–7 ए व नकल रपट रोजनामचा प्रदर्श डी–1, आर्म्स एक्ट की अधिसूचना प्रदर्श पी–8 उसके द्वारा शामिल पत्रावली की गयी। उसके अनुसंधान से आपक उर्ष के विरुद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अनुसंधान पत्रावली उसके द्वारा एसएचओ पुष्कर के समक्ष पेश की गयी, जिन्होने न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया। आरोप पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी सीआई गोपाल लाल के हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि वनीता शर्मा आरपीएस उच्चाधिकारी है। उसे अनुसंधान हेतु पत्रावली 09.11.2012 को प्राप्त हुई। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–1 तहरीरी रिपोर्ट उसके सामने पेश नहीं हुई स्वतः कहा उसे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। यह कहना सही है कि विक्रम सेवावत भी उसके उच्चाधिकारी थे। यह कहना सही है कि घटनास्थल एक आम रास्ता है। घटनास्थल के आसपास दुकानें व रेस्टोरेन्ट बने हुये हैं। यह कहना सही है कि घटनास्थल के आसपास के दुकानदारों व रहवासियों को गवाह नहीं बनाया स्वतः कहा कि उन्होंने गवाह बनना नहीं चाहा। यह वह नहीं बता सकता कि जब्तशुदा धारदार

authentication document

छुरा आसानी से बाजार में मिल सकता है या नहीं। यह कहना सही है कि छुरे की जब्ती की कार्यवाही उसके सामने नहीं हुई थी और उसे अनुसंधान प्राप्त होने से पहले हो चुकी थी। यह कहना भी सही है कि छुरा उसके सामने सील मोहर नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि तरणी घाट के आसपास आर्टिफिशियल छुरे व तलवारों की दुकानें हो। यह कहना गलत है कि उसने आरपीएस वनीता शर्मा और विक्रम सेवावत एसआई के अधीनस्थ कर्मचारी होने से उनके कहेनुसार समस्त फर्दे थाने पर बैठकर बनायी हो। यह कहना गलत है कि उसने सभी पुलिस कर्मी को अपनी मनमर्जी से गवाह बनाकर झूठा अनुसंधान किया हो।

साक्षी **पीडब्ल्यू–6** दयानंद शर्मा ने शपथ पर कथन किया है वह दिनांक 09–11.2012 को थाना पुष्कर पर हेड कांस्टेबल–164 के पद पर तैनात था। उस दिन वह डॉ. वनिता शर्मा, आरपीएस के साथ मय विक्रम सेवावत एसआई, कांस्टेबल श्रवणराम, महिपाल मय अनुसंधान बॉक्स मय सरकारी जीप वास्ते गश्त व जुरायम कंट्रोल हेतु थाने से लगभग 12 बजे रवाना होकर 12:20 पर ब्रह्म चौक पुष्कर पहुंचे, जहां पर वनिता शर्मा को जरिये मुखबिर इत्तला मिली कि एक व्यक्ति, जिसने स्लेटी रंग की पेन्ट व भूरे रंग की शर्ट पहन रखी है, ने अपनी पीठ की ओर कमर में एक धारदार छुरा छुपा रखा है। इत्तला से जाब्ते को अवगत कराकर आरपीएस मैडम ने महिपाल सिंह को स्वतंत्र गवाह लाने हेतु भेजा, जिसने थोडी देर बाद आकर बताया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं है, जिस पर श्रवणराम व महिपाल को स्वतंत्र गवाह मामूर कर मुखबिर खास के बताये स्थान तरणी घाट की ओर रवाना हुए और तरणी घाट के बाहर सड़क पर पहुंचे, तो मुखबिर के बताये हुलिये वाला व्यक्ति खड़ा नजर आया, जो बावर्दी पुलिस जाब्ता को देखकर जाने लगा, तो पकडकर नाम पते पूछे, तो आप अपना नाम लाला उर्फ चरण सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी मनसा तलाई होना बताया, जिसकी तलाशी ली गयी, तो पीठ की ओर कमर के नीचे कपड़ों में एक धारदार छुरा मिला, जिस बाबत लाइसेंस परमिट के लिए पूछा तो नहीं होना बताया, जिस पर 4/25 आर्म्स एक्ट में प्रमाणित पाया जाने पर छुरे को नापा तो फल की लम्बाई 16.5 सेमी, हत्थे की लम्बाई 16.5 सेमी, कुल लम्बाई 33 सेमी. थी। छुरे का डायग्राम बनाया जाकर छुरे को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द प्रदर्श पी–3 जब्त किया व सील चिट कर मार्का–ए अंकित किया। अभियुक्त को जरिये फर्द गिरफतार किया। मय माल मय मुल्जिम थाने पर पहुंचकर आरपीएस डॉ. वनीता शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि घटनास्थल आबादी वाला क्षेत्र है, जहां आसपास लोग रहते हैं एवं परिक्रमा मार्ग है। किसी स्वतंत्र गवाह को तहरीर जारी की गयी हो, तो उसे अभी ध्यान नहीं है। उसके कोई फर्द जब्ती पर हस्ताक्षर नहीं कराये और ना ही नक्शा मौका घटनास्थल पर उसके हस्ताक्षर कराये। यह कहना सही है कि हथियार की धार बाबत जब्ती उसके सामने नहीं बनायी। उसे ध्यान नहीं है कि ऐसा छुरा पुष्कर बाजार में आसानी से मिल सकता है या नहीं। यह कहना गलत है कि वह पुष्कर थाने पर तैनात होने एवं डॉ वनिता शर्मा के अधीनस्थ होने से मौके पर गया ही नहीं हो।

authentication document

साक्षी **पीडब्ल्यू–7** डॉ. वनीता ने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 09.11.2012 को आरपीएस (पी) के पद पर पुलिस थाना पुष्कर पर तैनात थी। उस दिन वह, विक्रम सेवावत, एचसी दयानन्द, कानि श्रवणराम, महिपाल सिंह मय सरकारी जीप मय चालक के वास्ते गश्त थाने से रवाना होकर ब्रह्म चौक पुष्कर पहुंची। जहां मुखबिर खास ने इत्तला दी कि एक व्यक्ति स्लेटी रंग की पेन्ट व भूरे रंग की धारीदार शर्ट पहना हुआ है, जिसने अपनी पीछे की तरफ कमर के नीचे कपड़ो में एक धारदार छुरा छुपा रखा है, आदि इत्तला पर वे परिकमा मार्ग तरणी घाट की तरफ रवाना हुए, तो तरणी घाट के बाहर सड़क की तरफ मुखबिर के बताये अनुसार एक व्यक्ति खडा नजर आया, जो पुलिस को बावर्दी देखकर आगे की तरफ जाने लगा, जिसको जाब्ते की मदद से रोका और नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लाला उर्फ चरण सिंह पुत्र भगवान सिंह होना बताया। जिसकी तलाशी ली तो उसके पीठ की ओर कमर के नीचे कपड़ो में एक धारदार छुरा छुपाया हुआ मिला, जिसको निर्धारित माप से अधिक माप का छुरा रखने बाबत लाइसेंस पूछा तो नहीं होना बताया। छुरे के फल की लम्बाई 16.5 सेमी तथा हत्थे की लम्बाई 16.5 सेमी पायी गयी। जिस पर उक्त व्यक्ति का कृत्य 4 / 25 आर्म्स एक्ट की हद में आने पर छुरे का खाका बनाकर जरिये फर्द जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया तथा मुलजिम लाला उर्फ चरणसिंह को जरिये फर्द गिरफतार किया। बाद कार्यवाही जब्तशुदा माल व गिरफतारशुदा मुल्जिम के वह थाने पर आयी और मुकदमा दर्ज कराया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 हैं, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच अभियुक्त लाला उर्फ चरणसिंह के हस्ताक्षर हैं। फर्द चित्र छुर्रा प्रदर्श पी–4 है, जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच अभियुक्त लाल उर्फ चरणसिंह के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी–5 है, जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच अभियुक्त लाल उर्फ चरणसिंह के हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह सही है कि जब्तशुदा छुरा जैसा छुरा मार्केट में आसानी से मिल सकता है। यह सही है कि उसने स्वतंत्र गवाह बुलाने बाबत कोई तहरीर जारी नहीं की। वे थाने से कितनी बजे रवाना हुए, आज याद नहीं है, पत्रावली देखकर बता सकती है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–1 तहरीरी रिपोर्ट में उसके हस्ताक्षर के नीचे दिनांक व समय अंकित नहीं है। यह सही है कि घटनास्थल के आसपास बहुत सारे मकान बनाये गये हैं और काफी लोग रहते हैं। उन्होंने आसपास मौजूद लोगों को गवाह बनने के लिए कहा, लेकिन कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। यह उसे याद नहीं है कि आसपास आर्टिफिशियल तलवार और चाकू की दुकानें हैं या नहीं है। जिस समय उसने अभियुक्त को पकड़ा था, उसने स्लेटी रंग की शर्ट और ब्राउन रंग की पेन्ट पहनी हुई थी। यह कहना गलत है कि उसने मुलजिम को झूठा फंसाने के लिए झूठा प्रकरण दर्ज किया हो।

12– इस प्रकार अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य सामग्री का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादिया वनिता शर्मा

authentication document

आरपीएस प्रोबेश्नर पीएस पुष्कर मय जाप्ता द्वारा दिनांक 09.11.2012 को दौराने गश्त मुखबिर खास से सूचना पर अभियुक्त के आधिपत्य से एक छुरा जब्त करने पर हुआ, जिससे प्रकट होता है कि प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाहान वनिता शर्मा व उसके साथ जाप्ते में शामिल विक्रम सेवावत, दयानंद शर्मा, श्रवणराम व महिपाल है, जिनमें से न्यायालय के समक्ष वनिता शर्मा पीडब्ल्यू –7, श्रवणराम पीडब्ल्यू – 2, दयानन्द पीडब्ल्यू –6 व महिपाल पीडब्लयू – 4 के रूप में परीक्षित हुए, जिनमें से गवाह वनिता शर्मा पीडब्ल्यू – 7 ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया कि दिनांक 09.11.2012 को वह मय जाब्ते के थाने से गश्त हेतु रवाना होकर ब्रह्म चौक पुष्कर पहुंची। जहां मुखबिर खास ने इत्तला दी कि एक व्यक्ति स्लेटी रंग की पेन्ट व भूरे रंग की धारीदार शर्ट पहना हुआ है, जिसने अपनी पीछे की तरफ कमर के नीचे कपड़ो में एक धारदार छुरा छुपा रखा है, आदि इत्तला पर वे परिक्रमा मार्ग तरणी घाट की तरफ रवाना हुए, तो तरणी घाट के बाहर सड़क की तरफ मुखबिर के बताये अनुसार एक व्यक्ति खडा नजर आया, जो पुलिस को बावर्दी देखकर आगे की तरफ जाने लगा, जिसको जाब्ते की मदद से रोका और नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लाला उर्फ चरण सिंह पुत्र भगवान सिंह होना बताया। जिसकी तलाशी ली तो उसके पीठ की ओर कमर के नीचे कपड़ो में एक धारदार छुरा छुपाया हुआ मिला, जिसको निर्धारित माप से अधिक माप का छुरा रखने बाबत लाइसेंस पूछा तो नहीं होना बताया। छुरे के फल की लम्बाई 16.5 सेमी तथा हत्थे की लम्बाई 16.5 सेमी पायी गयी। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ने अपने कथनों के समर्थन में 5 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये, जिनका अवलोकन किया गया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है, फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3 है, जिससे प्रकट होता है कि मौके से एक धारदार दुरा जब्त किया गया, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5 है व नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 है, जिसमें एक्स स्थान पर घटना बताई गई है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई, परन्तु उक्त गवाह अपने मुख्य परीक्षण के संदर्भ में अखण्डित रहा है। न्यायालय यह उल्लेख करना वांछनीय समझता है कि न्यायालय के समक्ष मालखाना भी पेश हुआ है, जिसमें एक चाकू था। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त ने उपरोक्त समस्त फर्दात भी स्वीकार की, जिससे भी गवाह के बयान अखण्डित माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह के बयानों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष विद्यमान नहीं है।

13– आगे अन्य गवाह श्रवणराम पीडब्लयू –2, दयानन्द पीडब्ल्यू –6 व महिपाल पीडब्ल्यू –4 ने भी परिवादिया वनिता शर्मा के कथनों की ताईद की और उन्होंने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3, खाका प्रदर्श पी–4, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5 व नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। उल्लेखनीय रहें कि उक्त चारों फर्दात भी अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा स्वीकार की गई है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाहान से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई परंतु उक्त दोनों गवाह अपने मुख्य परीक्षण के संदर्भ में अखण्डित रहें। आगे अन्य गवाह पीडब्लयू 1 मोहम्मद निसार ने परिवादिया वनिता शर्मा द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना और तफ्तीश एएसआई तेजाराम के जिम्मे किए जाने बाबत साक्ष्य दी है और तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाह से की गई विस्तृत प्रतिपरीक्षा में

authentication document

गवाह ने यह स्वीकार किया कि जिस वक्त उसे रिपोर्ट दी गई, उस वक्त मुलजिम साथ था। आगे अन्य गवाह पीडब्ल्यू –5 तेजाराम द्वारा स्वयं द्वारा किये गए अनुसंधान बाबत् साक्ष्य दी एवं अपने कथनों के समर्थन में फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3, फर्द डायग्राम प्रदर्श पी–4, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5, नक्शा घटनास्थल प्रदर्श पी–6, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–7ए, नकल रपट रोजनामचा प्रदर्श डी–1, आर्म्स एक्ट की अधिसूचना प्रदर्श पी–8 प्रदर्शित करवाई। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू –3 डूंगाराम, जो कि मालखाना इंचार्ज है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 09.11.2012 को आरपीएस वनिता शर्मा ने एक जब्तशुदा चाकू सफेद कपडे की थैली में उसके समक्ष पेश किया, जिसको उसने मालखाना के मद संख्या 178 पर इन्द्राज कर जमा मालखाना किया, मूल रजिस्टर प्रदर्श पी–7 व उसकी नकल प्रदर्श पी–7ए है। उल्लेखनीय रहें कि उक्त फर्दात भी अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा स्वीकार की गई है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त गवाहान से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई परंतु उक्त गवाहान अपने मुख्य परीक्षण के संदर्भ में अखण्डित रहें। न्यायालय पुनः यह लिखना वांछनीय समझता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी कहानी के समर्थन में जो दस्तावेज प्रदर्शित करवाए वे समस्त दस्तावेजात अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा स्वीकार किये गए है, जिससे भी उक्त साक्षीगण के कथन अखण्डित माने जाते हैं। प्रकरण में छुरा जब्त किया गया, इसकी पुष्टि फर्द जप्ती प्रदर्श पी–3 से होती है, जिस स्थान से छुरा जप्त किया गया, उसकी पुष्टि घटनास्थल के नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 से होती है एवं अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया, इसकी पुष्टि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5 से होती है। न्यायालय पुनः यह लिखना भी वांछनीय समझता है कि उक्त समस्त फर्दात को अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया है। यद्यपि अभियोजन पक्ष ने जिन गवाहान को परीक्षित करवाया है, वे समस्त पुलिसकर्मी है, परंतु इस न्यायालय के विनम्र मत में गवाह पुलिसकर्मी होने मात्र से कार्यवाही संदेहास्पद नहीं हो जाती एवं पुलिसकर्मी भी सक्षम साक्षी होता है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह पेश हुए है, उनकी साक्ष्य कमोबेश अंखडित रही है, जिस पर अविश्वास करने का न्यायालय के समक्ष कोई संतोषजनक कारण उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित होता है कि अभियुक्त के चैतन्य आधिपत्य से प्रकरण में जब्तशुदा छुरा बरामद किया गया, जिसे अपने पास रखने के लिए कोई वैध अनुज्ञा पत्र अभियुक्त के पास नहीं था। इस प्रकार अभियोजन पक्ष स्वयं द्वारा प्रस्तुत की गई अभियोजन कहानी को अपनी मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से पुष्ट करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है।

14– सम्प्रति, अभियोजन पक्ष, अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस अवधारणीय बिंदु को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा कि अभियुक्त ने दिनांक 09.11.2012 को समय 12.50 पी.एम. वाके मौजा तरणी घाट, पुष्कर में एक धारदार छुरा जिसके फल की लंबाई 16.5 सेमी व हत्थे की लंबाई 16.5 सेमी थी, अपने कब्जे व आधिपत्य में रखा, जिसको रखने का वैध लाइसेंस/परमिट उसके पास नहीं था। परिणामस्वरूप अभियुक्त लाला उर्फ चरण सिंह पुत्र भगवान सिंह, उम्र 23 वर्ष, निवासी मनसा तलाई बड़ी बस्ती पुष्कर को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप के तहत दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

authentication document

आदेश

15– परिणामतः अभियुक्त लाला उर्फ चरण सिंह पुत्र भगवान सिंह, उम्र 23 वर्ष, निवासी मनसा तलाई बड़ी बस्ती पुष्कर को अपराध धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर, (अजमेर)

16– सजा के प्रश्न पर सुना गया। सजा के बिन्दू पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा कभी भी न्यायालय द्वारा दी गई परिवीक्षा का लाभ नहीं लिया है, जिस बाबत् अभियुक्त की ओर से पूर्व में परिवीक्षा का लाभ नहीं लिये जाने बाबत् शपथ–पत्र भी पृथक से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही निवेदन किया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। अन्त में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

17– विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

18– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध विगत दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय अभियुक्त को तुरन्त प्रभाव से कारावास या अर्थदण्ड से दण्डित करने के बजाय सुधार का एक अवसर दिया जाना न्यायसंगत पाता है तथा अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का फायदा दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

दण्डादेश

19– अतः अभियुक्त लाला उर्फ चरण सिंह पुत्र भगवान सिंह, उम्र 23 वर्ष, निवासी मनसा तलाई बड़ी बस्ती पुष्कर को अपराध धारा 4/25 आयुध अधिनियम की दोषसिद्धि के तहत अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि हेतु 10,000/– रुपये की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका इस आशय का पेश करेगा कि अभियुक्त उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, शांति व सदाचार बनाए रखेगा, न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित हो जाएगा, तो उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। साथ ही, अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने एवं हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व अभियुक्त द्वारा बताई गई न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त पर 200/–रुपये बतौर अभियोजन व्यय के अधिरोपित किए जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री बाद गुजरने अपील/मियाद नियमानुसार निस्तारण बाबत पुलिस थाना पीसांगन को तहरीर जारी की जावे।

authentication document

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, जिसकी इस प्रकरण में रिहाई बाबत् तहरीर संबंधित जेल अधीक्षक को जारी हो और उस पर नोट अंकित किया जावे कि अभियुक्त किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं हो तो उसे तुरन्त रिहा किया जावे।

20– अभियुक्त के हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर, (अजमेर)

21– निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर, (अजमेर)

DHARMENDRA KUMAR RATHORE
steno grade II
authentication document
Digitally signed by DHARMENDRA KUMAR RATHORE